



# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

**WEB-NOTICE – 03/2026**

ज्ञापांक : JAC/गो०/6059/25-Secy/11/2026

दिनांक : 13.01.2026

**सत्र 2025-27 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2027 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं कक्षा 11 की परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना**

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या- 50/2025 एवं वेब नोटिस- 37/2025 के क्रम में राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के सत्र 2025-27 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2027 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2026 की कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की निर्धारित तिथि को निम्नवत् रूप से विस्तारित किया जाता है :-

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की विस्तारित तिथि :-

| शुल्क विवरणी      | ऑनलाइन प्रपत्र भरने की तिथि | चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि | ऑनलाइन या RTGS/NEFT के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| विलम्ब शुल्क रहित | 14.01.2026 तक               | 14.01.2026                      | 17.01.2026                                                    |
| विलम्ब शुल्क सहित | 15.01.2026                  | 15.01.2026                      | 19.01.2026                                                    |

नोट :- (1) विज्ञप्ति संख्या 50/2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

(2) दिनांक 14.01.2026 के बाद जेनरेट होनेवाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।  
अध्यक्ष के आदेश से,

ह०/-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गो०/6059/25-Secy/11/2026

/ राँची, दिनांक : 13.01.2026

प्रतिलिपि : S.I.O. (वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी), झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।